संख्या 950 /II–2008–03(11)/05

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

सिंचाई विभाग — देहरादून : दिनांक 21 मार्च 2008

विषय : वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए आयोजनागत मदों में अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2007–08 में आयोजनागत मद में अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण की स्वीकृत चालू योजनाओं के अवशेष कार्यों के क्रियान्वयन हेतु रू0 200.00 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवंटन निर्माणाधीन योजनाओं एव शासन से स्वीकृत की जाने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु यथा समय किया जाय । व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय ।

3. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4. स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन/फॉट मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

5. जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीक का प्रयोग किया जाय।

.....2

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण सीसी0एल0 के आधार पर किया जायेगा । जिन योजनाओं में शासन से योजना की प्रशासकीय स्वीकृति दी जाती है उनमें प्रशासकीय स्वीकृति के बाद विभागाध्यक्ष के द्वारा परिव्यय आकलन एवं वित्तीय वर्ष में उपभोग हो सकने वाली धनराशि के अनुसार बजट आंवटन किया जायेगा ।
7. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
8. कार्य की समय बद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
9. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेग ।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई, 06–निर्माणाधीन नहरें, आयोजनागत 796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, 03–सिंचाई नहरों का निर्माण, 00–24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–306/XXVII (2)/06, दिनांक 20.03.08 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

संख्या 950/I–2008–03(11)/05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निजी सचिव, सिंचाई मंत्री जी को मा0 सिंचाई मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ।
3– वित्त अनुभाग–2
4– समाज कल्याण विभाग, नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
5– श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी चमोली/उधमसिंहनगर/नैनीताल ।
8– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

(एस0एस0टोलिया)
अनु सचिव